Jansatta, Delhi, 27/09/2026
Page No: 17, Size: 16.93cm × 20.11cm

आरोप के कठघरे में वर्दीवाले

जनसत्ता सरोकार

बीते एक हफ्ते में देश के अलग-अलग कोनों से जो खबरें आई, उन्होंने निर्भया कांड के 14 साल बाद भी देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। 19 सितंबर 2026 की शाम बिहार के जमुई में दसवीं की एक छात्रा को कोचिंग से लौटते वक्त कुछ युवकों के एक समूह ने रोककर प्रताड़ित किया। वीडियो प्रचारित होने के बाद ही पुलिस हरकत में आई और तीन नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि चार-पांच आरोपी अब भी फरार हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग को भी इसमें दखल देकर डीजीपी को सख्त कार्रवाई का आदेश देना पड़ा।

जमुई की स्याही सूखी भी नहीं थी कि 23 सितंबर को समस्तीपुर के कर्पूरीग्राम थाना इलाके से एक और वीडियो साझा हुआ, जिसमें दसवीं की एक छात्रा को लड़कों के समूह ने घेरकर उठा ले जाने की कोशिश की। इसके अगले ही दिन मधेपुरा से भी छेड़खानी की एक और घटना सामने आ गई और अब बांका जिले से चौथा मामला सामने आया है। वैसे एक हफ्ते के भीतर बिहार से सामने आया यह तीसरा वीडियो है, जिसमें ऐतिहासिक मंदार हिल पर्यटन स्थल पर युवकों का एक समूह एक लड़की के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार और उस पर हमला करता दिख रहा है। वीडियो में लड़की की दो सहेलियों को टी-शर्ट के कालर से पकड़ा जाता है। एक आरोपी के हाथ में चप्पल तो दूसरे के हाथ में लाठी दिखाई देती है। पुलिस के मुताबिक यह घटना असल में जून महीने की है, यानी जमुई-समस्तीपुर कांड से काफी पहले की, पर सामने अब आई है। यह सब दिखाता है कि ऐसी कितनी ही घटनाएं तब तक दबी रह जाती हैं, जब तक कोई वीडियो अचानक प्रचारित न हो जाए। बांका पुलिस ने 22 सितंबर को वीडियो सामने आने के बाद जांच शुरू की है। जमुई, समस्तीपुर, मधेपुरा के बाद बांका की यह चौथी कड़ी बिहार सरकार के सुशासन के दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

राजधानी दिल्ली भी इस हफ्ते अछूती नहीं रही। दक्षिण दिल्ली के कालकाजी स्थित आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय एक नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, जिसके विरोध में लेडी श्री राम कालेज की छात्राओं ने मार्च निकाला और दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की मांग उठाई। इसके बावजूद परिसर के आसपास स्थायी सुरक्षा व्यवस्था का सवाल अब भी अनुत्तरित है। एक पूर्व छात्रा का कहना था कि पांच साल पहले भी कालेज के पीछे गलियों और पीजी वाले रास्तों पर यही असुरक्षा थी। इतना ही नहीं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राओं ने शुक्रवार को मार्च निकाला और अपने प्रति असुरक्षा के भाव का इजहार किया।

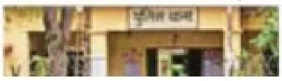

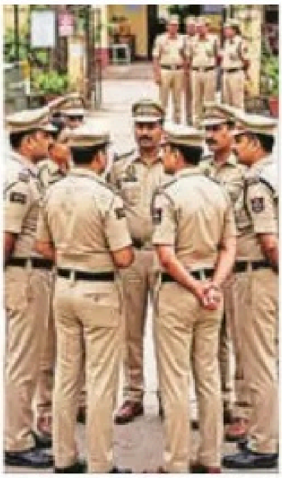

नोएडा-दिल्ली की बस वाली घटना एक अलग ही खौफनाक कहानी है। चार अगस्त 2026 की रात मैनपुरी की 16-17 साल की एक स्कूली छात्रा गलती से ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर उतर गई, जहां मदद के बहाने खाली स्लीपर बस के चालक-परिचालक ने उसे बैठा लिया और फिर चलती बस में करीब 47 किलोमीटर तक की दूरी में दोनों ने सामूहिक बलात्कार किया। बस की खिड़कियों पर पर्दे लगे होने के कारण बाहर से अंदर का दृश्य नहीं दिख रहा था। इस मामले में एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया, और नोएडा में जांच के बाद नौ निजी बसों को जब्त किया गया।

एक ऐसा मामला भी सामने आया है जो पूरे तंत्र पर सवाल खड़ा करता है, जहां रक्षक ही भक्षक बन गए। 24 सितंबर को उत्तर प्रदेश के अमरोहा से खबर आई कि एक महिला के साथ एक सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल, एक अन्य सीआरपीएफ इंस्पेक्टर और स्थानीय थाने के दो पुलिसकर्मियों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया। यह घटना एक फार्महाउस पर हुई, जो उत्तराखंड के एक निर्दलीय विधायक की संपत्ति बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक, महिला की मुलाकात 21 सितंबर को सोनीपत, हरियाणा में एक सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मोहित से हुई थी, जिसके बाद दोनों मुजफ्फरनगर, मेरठ और बरेली होते हुए वापस हरियाणा लौटने की योजना बनाकर निकले। मेरठ में लालाराम नाम का एक और सीआरपीएफ इंस्पेक्टर इस समूह में शामिल हो गया, और फिर मोहित के फोन पर सब इंस्पेक्टर संजय तोमर ने अमरोहा के इस फार्महाउस में ठहरने का इंतजाम किया। पुलिस के मुताबिक खाने-पीने के बाद दोनों सीआरपीएफ कर्मियों और संजय तोमर ने कथित तौर पर महिला के कमरे में घुसकर बलात्कार किया। महिला ने आनलाइन नंबर ढूंढकर रात करीब एक बजे 112 हेल्पलाइन पर काल की, और पुलिस टीम दो बजे तक फार्महाउस पहुंच गई। चारों आरोपियों-दो पुलिसकर्मी और दो सीआरपीएफ जवानों को गिरफ्तार कर सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। अमरोहा के दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। यह मामला खास तौर पर इसलिए गंभीर है क्योंकि जिन पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही आरोप के कठघरे में खड़े हैं, यह भरोसे के संकट की सबसे गहरी परत है।

उत्तराखंड से भी लगातार ऐसी खबरें आती रही हैं। रुद्रपुर में 13 साल की बच्ची के साथ होटल में सामूहिक बलात्कार, तो ऋषिकेश में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर एक नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ट्यूशन जा रही एक बच्ची के अपहरण और बलात्कार के प्रयास का मामला भी सामने आया।

Hindustan, Delhi, 27/09/2026
Page No: 6, Size: 29.69cm × 9.97cm

रिपोर्ट | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की आंकड़ों से खुलासा हुआ, एकीकृत जिला सूचना प्रणाली ने कहा- छह से 17 साल के लगभग 4.6 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर

कोरोना के कारण स्कूल छोड़कर मजदूरी को मजबूर हो गए बच्चे

प्रभात कुमार

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के चलते आर्थिक तंगी और सामाजिक सुरक्षा का व्यवस्था बिगड़ने से देश में बड़े पैमाने पर कम उम्र के बच्चे बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।

इसमें कहा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में पांच से 14 साल की उम्र के लगभग 1.01 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी में शामिल थे। लेकिन हाल में एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) के 2024-25 आंकड़ों के मुताबिक, देश में छह से 17 साल के लगभग 4.6 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर थे।

रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर 8.2 फीसदी है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में यह दर तेजी से बढ़ी है। इन राज्यों में स्कूल छोड़ने की दर 15 फीसदी से अधिक हो जाती है। स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों में से अधिकांश समय से पहले काम करने की दुनिया में प्रवेश करने का जोखिम अधिक होता है।

45 हजार मुक्त कराए

एनएचआरसी ने कहा है कि 2025 में अधिकारियों ने विभिन्न प्रकार के शोषण से 44,902 से अधिक बच्चों को बचाया। बाल मजदूरी के काम में लगे बच्चों की सबसे अधिक संख्या तेलंगाना से थी। यहां पर 11 हजार बच्चों को बचाया गया। बाल श्रम के के मामले में बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश शामिल थे। वहीं यौन शोषण के मामलों में पश्चिम बंगाल सबसे आगे रहा, जहां एक हजार से अधिक बच्चों को बचाया गया।

स्कूल छोड़ने वालों की दर में भी कमी दर्ज की गई

रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले दो शैक्षणिक वर्षों वर्ष 2022-23 और 2023-24 की तुलना में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में प्राथमिक, मिडिल और सेकेंडरी स्तरों पर स्कूल छोड़ने वालों की दर में कमी आई है। पिछले वर्ष की तुलना में, प्राथमिक स्तर पर यह दर 3.7 फीसदी से घटकर 2.3 फीसदी, मिडिल स्तर पर 5.2 से घटकर 3.5 फीसदी और सेकेंडरी स्तर पर 10.9 फीसदी से घटकर 8.2 फीसदी हो गई है। यह गिरावट छात्रों के स्कूल में बने रहने की बेहतर स्थिति को दर्शाती है और बच्चों को उनकी शिक्षा से जोड़े रखने के लिए शुरू की गई पहलों की सफलता को उजागर करती है।

सीएसआर में बाल श्रम के मुद्दे भी शामिल किए जाएं

एनएचआरसी ने बंधुआ मजदूरों की पहचान कर उन्हें मुक्त कराना और उनका पुनर्वास करने की वकालत की है। मुख्य सुझावों में मुक्त कराए गए बाल मजदूरों और बंधुआ मजदूरी के शिकार लोगों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए तालमेल के तरीकों को मजबूत करने पर जोर दिया है। वहीं, आयोग शहरी योजना, प्रवासी कल्याण नीतियों और कॉर्पोरेट सोशल जिम्मेदारी (सीएसआर) के ढांचों में बाल मजदूरी से जुड़े मुद्दों को शामिल करने की वकालत किया है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Dainik Bhaskar, Varanasi, 27/09/2026

Page No: 2, Size: 4.39cm × 10.79cm

छात्रा के रेप-सुसाइड केस में मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट

झांसी|रेप के बाद छात्रा के सुसाइड करने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने झांसी के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग के अनुसार, मीडिया में 23 सितंबर को प्रकाशित खबर के आधार पर मामले का संज्ञान लिया गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों पर गैंगरेप के आरोप में FIR दर्ज की थी। हालांकि जांच के बाद मामले में नया मोड़ आ गया था। पुलिस ने दो दिन पहले मामले खुलासा करते 2 नाबालिग आरोपियों को डिटेन किया था। बताया पीड़िता और एक किशोर के बीच प्रेम संबंध थे। उन दोनों ने संबंध बनाए। यह बात गांव में फैलने के डर से युवती ने जहर खा लिया था।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Hindustan, Varanasi, 27/09/2026

Page No: 10, Size: 33.76cm × 11.69cm

रिपोर्ट | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों से खुलासा हुआ, एकीकृत जिला सूचना प्रणाली ने कहा- छह से 17 साल के लगभग 4.6 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर

कोरोना के कारण स्कूल छोड़कर मजदूरी के लिए मजबूर हुए बच्चे

■ प्रभात कुमार

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के चलते आर्थिक तंगी और सामाजिक सुरक्षा का व्यवस्था बिगड़ने से देश में बड़े पैमाने पर कम उम्र के बच्चे बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।

इसमें कहा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में पांच से 14 साल की उम्र के लगभग 1.01 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी में शामिल थे। लेकिन हाल में एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) के 2024-25 आंकड़ों के मुताबिक, देश में छह से 17 साल के लगभग 4.6 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर थे।

रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर 8.2 फीसदी है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में यह दर तेजी से बढ़ी है। इन राज्यों में स्कूल छोड़ने की दर 15 फीसदी से अधिक हो जाती है। स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों में से अधिकांश समय से पहले काम करने की दुनिया में प्रवेश करने का जोखिम अधिक होता है।

45 हजार मुक्त कराए

एनएचआरसी ने कहा है कि 2025 में अधिकारियो ने विभिन्न प्रकार के शोषण से 44,902 से अधिक बच्चों को बचाया। बाल मजदूरी के काम में लगे बच्चों की सबसे अधिक संख्या तेलगाना से थी। यहां पर 11 हजार बच्चों को बचाया गया। बाल श्रम के के मामले में बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश शामिल थे। वहीं यौन शोषण के मामलों में पश्चिम बंगाल सबसे आगे रहा, जहां एक हजार से अधिक बच्चों को बचाया गया।

स्कूल छोड़ने वालों की दर में भी कमी दर्ज की गई

रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले दो शैक्षणिक वर्षों वर्ष 2022-23 और 2023-24 की तुलना में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में प्राथमिक, मिडिल और सेकेंडरी स्तरों पर स्कूल छोड़ने वालों की दर में कमी आई है। पिछले वर्ष की तुलना में, प्राथमिक स्तर पर यह दर 3.7 फीसदी से घटकर 2.3 फीसदी, मिडिल स्तर पर 5.2 से घटकर 3.5 फीसदी और सेकेंडरी स्तर पर 10.9 फीसदी से घटकर 8.2 फीसदी हो गई है। यह गिरावट छात्रों के स्कूल में बने रहने की बेहतर स्थिति को दर्शाती है और बच्चों को उनकी शिक्षा से जोड़े रखने के लिए शुरू की गई पहलों की सफलता को उजागर करती है।

सीएसआर में बाल श्रम के मुद्दे भी शामिल किए जाएं

एनएचआरसी ने बंधुआ मजदूरों की पहचान कर उन्हें मुक्त कराना और उनका पुनर्वास करने की वकालत की है। मुख्य सुझावों में मुक्त कराए गए बाल मजदूरों और बंधुआ मजदूरी के शिकार लोगों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए तालमेल के तरीकों को मजबूत करने पर जोर दिया है। वहीं, आयोग शहरी योजना, प्रवासी कल्याण नीतियों और कॉर्पोरेट सोशल जिम्मेदारी (सीएसआर) के ढांचों में बाल मजदूरी से जुड़े मुद्दों को शामिल करने की वकालत किया है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Hindustan, Moradabad, 27/09/2026

Page No: 11, Size: 14.45cm × 21.03cm

कोरोना के कारण स्कूल छोड़कर मजदूरी को मजबूर हो गए बच्चे

■ प्रभात कुमार

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के चलते आर्थिक तंगी और सामाजिक सुरक्षा का व्यवस्था बिगड़ने से देश में बड़े पैमाने पर कम उम्र के बच्चे बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।

इसमें कहा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में पांच से 14 साल की उम्र के लगभग 1.01 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी में शमिल थे। लेकिन हाल में एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) के 2024-25 आंकड़ों के मुताबिक, देश में छह से 17 साल के लगभग 4.6 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर थे।

रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर 8.2 फीसदी है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में यह दर तेजी से बढ़ी है। इन राज्यों में स्कूल छोड़ने की दर 15 फीसदी से अधिक हो जाती है। स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों में से अधिकांश समय से पहले काम करने की दुनिया में प्रवेश करने का जोखिम अधिक होता है।

स्कूल छोड़ने वालों की दर में भी कमी दर्ज की गई

रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले दो शैक्षणिक वर्षों वर्ष 2022-23 और 2023-24 की तुलना में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में प्राथमिक, मिडिल और सेकेंडरी स्तरों पर स्कूल छोड़ने वालों की दर में कमी आई है। पिछले वर्ष की तुलना में, प्राथमिक स्तर पर यह दर 3.7 फीसदी से घटकर 2.3 फीसदी, मिडिल स्तर पर 5.2 से घटकर 3.5 फीसदी और सेकेंडरी स्तर पर 10.9 फीसदी से घटकर 8.2 फीसदी हो गई है। यह गिरावट छात्रों के स्कूल में बने रहने की बेहतर स्थिति को दर्शाती है और बच्चों को उनकी शिक्षा से जोड़े रखने के लिए शुरू की गई पहलों की सफलता को उजागर करती है।

Source: deccanherald.com/india/karnataka/human-rights-remain-a-work-in-progress-need-constant-vigilance-says-ex-kerala-hc-chief-justice-bannurmath-4160806

Home > India > Karnataka >

Human rights remain a work in progress, need constant vigilance, says ex-Kerala HC Chief Justice Bannurmath

Justice Bannurmath highlighted how India's Constitution, particularly Article 21 on the right to life and personal liberty, has been interpreted expansively by courts to include rights to privacy, education and a clean environment

DHNS
Last Updated: 26 September 2026, 19:31 IST

RVS Naik, President, KSICJ with Justice SR Bannurmath, former Chief Justice of the High Court of Kerala, during the seminar on 'Human Rights and Everyday Life' in Bengaluru on Saturday. Credit: Special arrangement

Bengaluru: "The protection of human rights remains a work in progress worldwide despite decades of constitutional and institutional frameworks," former Kerala High Court Chief Justice SR Bannurmath said on Saturday, urging citizens to actively claim and defend their rights in everyday life.

Justice Bannurmath delivered the keynote address at a seminar on 'Human Rights and Everyday Life', jointly organised by the Karnataka Section of the International Commission of Jurists (KSICJ) and the Karnataka Jurists Trust (KJT). The panel discussion featured activist Ruth Manorama, National Law School of India University (NLSIU) professor Arun Thiruvengadam and senior advocate Aditya Sondhi.

Addressing law students and members of the legal fraternity, Justice Bannurmath highlighted how India's Constitution, particularly Article 21 on the right to life and personal liberty, has been interpreted expansively by courts to include rights to privacy, education, a clean environment and dignity even in death. "Human rights are inherent, inalienable and universal. They arise from our humanity," he said, cautioning that emerging technologies, environmental degradation and persistent social inequalities pose fresh challenges.

Justice Bannurmath also stressed the role of National and State Human Rights Commissions as accessible, cost-free forums for ordinary citizens. "Many suffer in silence due to unawareness. Legal rights are meaningful only when people know about them," he said, while acknowledging criticism that commissions are "toothless tigers" unless their recommendations are enforced through judicial intervention.

During the interactive session, participants raised concerns over delays in appointing full-time chairs to State Human Rights Commissions, including in Karnataka, and called for stronger follow-up mechanisms to ensure accountability. Justice Bannurmath urged the audience to file complaints, pursue them diligently and said "remember that rights come with responsibilities."

Source: https://theindianawaaz.com/nandigram-the-epicentre-of-bengals-new-political-confrontation/

Nandigram: The Epicentre of Bengal's New Political Confrontation
Sep 26, 2026

By Aafreen Hussain

The Nandigram Assembly by-election, scheduled for October 6, has once again placed the politically significant constituency at the centre of West Bengal's political discourse. The contest has been transformed by the withdrawal of the Mamata Banerjee faction's candidate, the BJP's nomination of Hasirani Rath, mother of slain Suvendu Adhikari aide Chandranath Rath, the arrest of Congress nominee Milan Pradhan and the continuing confrontation among rival Trinamool factions, the BJP, Congress and the Left.

Nandigram and the fall of the Left Front
Nandigram's importance goes far beyond an ordinary Assembly constituency. In 2007, protests erupted against the then Left Front government's proposal to acquire land for an industrial and chemical-hub project. On March 14, 2007, police firing during the agitation killed 14 people, according to the National Human Rights Commission.

Along with the Singur land movement, Nandigram helped transform Mamata Banerjee and the Trinamool Congress into the principal political challenger to the Left. The anti-land-acquisition movement became an important factor in the 2011 Assembly election, when the Left Front lost power after 34 years and Mamata Banerjee formed the government.

From Mamata's movement to Suvendu's stronghold

Ironically, the same Nandigram movement also became central to the political rise of Suvendu Adhikari, who was then closely associated with Mamata Banerjee. The relationship later turned into a major political confrontation after Adhikari joined the BJP.

In the 2021 Assembly election, Mamata Banerjee contested Nandigram against Adhikari and lost by 1,956 votes. In the 2026 Assembly election, Adhikari again won Nandigram and subsequently vacated the seat after deciding to retain Bhabanipur, creating the vacancy for the present by-election.

BJP fields mother of slain aide

The BJP has nominated Hasirani Rath, mother of Chandranath Rath, a former personal aide of Chief Minister Suvendu Adhikari who was shot dead in Madhyamgram on May 6, shortly after the 2026 Assembly election results. The BJP's decision has brought Chandranath Rath's killing into the political narrative of the Nandigram campaign. The case was initially investigated by the state police and an SIT before being transferred to the CBI.

TMC candidate withdraws after Nabanna meeting
The biggest twist came on September 18 when Sanchita Pradhan Dey, nominated by the Mamata Banerjee-led TMC faction, withdrew her candidature after meeting Chief Minister Suvendu Adhikari at Nabanna. She did not

publicly explain the reason for her withdrawal. The timing of the meeting and subsequent withdrawal immediately generated political controversy, although reports have described the meeting as having initially been presented as a courtesy meeting.

Mamata Banerjee subsequently announced that her faction would not field another candidate and would instead support Congress nominee Milan Pradhan, describing Congress as a “natural alliance” partner and linking the decision to cooperation within the INDIA bloc.

The situation became still more complicated when Milan Pradhan was arrested in connection with old cases arising from the 2007 Nandigram agitation. Mamata questioned the timing and alleged that the action reflected what she called BJP “politics of vendetta”; police, meanwhile, cited pending warrants and old cases.

Left and Ritabrata factions remain in the contest

The Left Front has fielded CPI candidate Shantigopal Giri, maintaining its presence in a constituency that was once a Left stronghold. The Left’s participation gives the election another dimension, with the CPI seeking to rebuild its political presence in an area historically associated with the collapse of Left dominance.

The Ritabrata Banerjee-led rival Trinamool faction has nominated Mohammad Eteshamul Haque. Earlier, Ritabrata Banerjee had publicly said that his faction would withdraw its candidate if Mamata herself decided to contest Nandigram, arguing that he wanted her to return to the Assembly. After Mamata did not contest, his faction remained in the electoral field.

Meanwhile, BJP leaders have projected Nandigram as an important test of the party’s continuing political influence, while BJP state president Shamik Bhattacharya has also sought to distance the party from religious categorisation of voters after remarks by Suvendu Adhikari about the by-election being a “test” for minority voters.

Thus, a constituency that once symbolised the end of Left Front rule and the beginning of the Mamata era has now become a complicated battlefield involving the BJP, two rival TMC factions, Congress and the Left. The October 6 vote will therefore carry significance not only for the vacant Assembly seat but also for the competing political narratives surrounding Nandigram’s past and West Bengal’s rapidly changing political landscape.

Vision News Service, Online News, 27/09/2026

Source: https://www.visionnewsservice.in/single-page/170792

रक्षक' पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय पहचान, छग बाल अधिकार संरक्षण आयोग को SKOCH गोल्ड अवार्ड
Posted On:- 2026-09-26

रायपुर (वीएनएस)। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अभिनव 'रक्षक' पाठ्यक्रम को SKOCH गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा के नेतृत्व में तैयार इस पहल को बाल अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

यह सम्मान SKOCH ग्रुप के चेयरमैन समीर कोचर ने प्रदान किया। इस अवसर पर पर्यावरणविद सुनीता नारायण, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की पूनम मुटरेजा, भारत सरकार के पूर्व सचिव संजय कुमार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व महासचिव भरत लाल उपस्थित थे।

डॉ. शर्मा ने बताया कि पुरस्कार की चयन प्रक्रिया में आयोग ने जूरी के समक्ष 'रक्षक' पाठ्यक्रम का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। मूल्यांकन के बाद इस पहल को गोल्ड श्रेणी में चुना गया।

'रक्षक' यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (PGDPCR) एक वर्षीय, दो सेमेस्टर का पाठ्यक्रम है। इसमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता स्नातक है। इसका उद्देश्य बाल संरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना है। पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक अध्ययन के साथ फील्ड वर्क, केस स्टडी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट को शामिल किया गया है। विद्यार्थी बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड, बाल देखरेख संस्थाओं और स्वैच्छिक संगठनों के कार्यों से सीधे जुड़कर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे।

पाठ्यक्रम में पॉक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, बाल विवाह एवं बाल श्रम प्रतिषेध, दत्तक ग्रहण, शिक्षा का अधिकार और पुनर्वास योजनाओं से जुड़े विषय शामिल हैं। आयोग के अनुसार विश्वविद्यालयों के संबंधित बोर्ड या परिषद की अनुमति से प्रदेश के विश्वविद्यालयों में यह पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इससे युवाओं को बाल संरक्षण, परामर्श और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर मिलेंगे।

CG SANDESH, Online News, 27/09/2026

Source: https://cgsandesh.com/Home/NewsDetails/115523

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग हुआ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित, छत्तीसगढ़ के रक्षक मॉडल को मिला राष्ट्रीय पहचान
CG SANDESH रायपुर 27-Sep-2026

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आयोग के अभिनव नवाचार रक्षक कार्यक्रम को देश के प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा के नेतृत्व में यह सम्मान प्राप्त हुआ है। बाल अधिकारों के क्षेत्र में यह पुरस्कार पाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। यह पुरस्कार प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुश्री सुनीता नारायण, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की सुश्री पूनम मुटरेजा, भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री संजय कुमार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व महासचिव श्री भरत लाल की गरिमामयी उपस्थिति में स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन श्री समीर कोचर द्वारा प्रदान किया गया। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने बताया कि अवार्ड के लिए चयन प्रक्रिया काफी कठोर थी। सर्वप्रथम आयोग की ओर से जूरी के समक्ष रक्षक पाठ्यक्रम पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसके बाद कड़े परीक्षण के उपरांत इसे गोल्ड श्रेणी के लिए चुना गया।
स्कॉच अवार्ड क्या है?
स्कॉच ग्रुप 1997 से कार्यरत देश का एक प्रमुख स्वतंत्र थिंक-टैंक है। यह वर्ष 2003 से सुशासन, डिजिटल गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्रदान करता है, जिसे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में गिना जाता है।
क्या है रक्षक पाठ्यक्रम?
रक्षक का पूरा नाम बाल अधिकारों के संरक्षण में पोस्ट-ग्रेजुएशन डिप्लोमा (पीजीडीपीसीआर) है। यह एक वर्षीय (2 सेमेस्टर) डिप्लोमा कोर्स है, जिसकी न्यूनतम योग्यता स्नातक है। डॉ. शर्मा ने बताया कि बाल संरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी को देखते हुए यह पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका प्रैक्टिकल मॉडल है। छात्र केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं लेंगे, बल्कि आयोग की संवाद इकाइयों के माध्यम से बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, चाइल्ड केयर संस्थानों और स्वैच्छिक संगठनों के साथ सीधे जुड़कर फील्ड वर्क, केस स्टडी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर कार्य करेंगे।
पाठ्यक्रम में पॉक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल विवाह एवं बाल श्रम प्रतिषेध, दत्तक ग्रहण कानून, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और पुनर्वास योजनाओं जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। यह पाठ्यक्रम प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में उनके बोर्ड/परिषद की अनुमति से प्रारंभ किया जा रहा है। इससे युवाओं के लिए बाल संरक्षण, काउंसलिंग और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।

Source: https://www.livehindustan.com/national/story-child-labor-crisis-in-india-impact-of-covid-19-201790430942342.amp.html

कोरोना महामारी के चलते स्कूल छोड़ मजदूरी को मजबूर हो गए बच्चे
Sep 26, 2026 07:25 pm IST
By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली

प्रभात कुमार नई दिल्ली। देश में पहले से ही बड़े पैमाने पर हो रहे बाल

प्रभात कुमार नई दिल्ली।

देश में पहले से ही बड़े पैमाने पर हो रहे बाल मजदूरी को कोरोना महामारी ने और बढ़ा दिया। दुनियाभर में 2020 में आई कोरोना महामारी के चलते आर्थिक तंगी और सामाजिक सुरक्षा का व्यवस्था बिगड़ने की वजह से देश में बड़े पैमाने पर कम उम्र के बच्चे बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए। इसका खुलासा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की एक रिपोर्ट से हुआ है।

बाल मजदूरी में वृद्धि
इसमें कहा गया है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में 5 से 14 साल की उम्र के लगभग 1.01 करोड़ बच्चे बाल मजीदूर में शमिल थे। लेकिन हाल के विश्लेषण से पता चलता है कि शहरों में बाल श्रम बढ़ा है। इतना ही नहीं, तेजी से हो रहे शहरीकरण और सस्ते मजदूरों की मांग के कारण शोषण का दायरा गांवों से शहरों की ओर बढ़ रहा है। एनएचआरसी ने शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) के आंकड़ों के विश्लेषण से इस गंभीरत समस्या का पता चलता है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी ने हालात और खराब कर दिए, स्कूलों के बंद होने, आर्थिक तंगी और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के बिगड़ने के कारण और अधिक बच्चे मजदूरी करने को मजबूर हो गए।

स्कूल से बाहर के बच्चे
एनएचआरसी ने कहा है कि (यूडीआईएसई) के 2024-25 के आंकड़ों के मुताबिक देश में रिपोर्ट के अनुसार 6 से 17 साल के लगभग 4.6 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर थे। इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर 8.2 फीसदी है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में यह दर तेजी से बढ़ी है। यूडीआईएसई के आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि इन राज्यों में स्कूल छोड़नो की दर 15 फीसदी से अधिक हो जाती है। स्कूल से बाहर रहने वाले इन बच्चों में से अधिकांश समय से पहले काम करने की दुनिया में प्रवेश करने का जोखिम अधिक होता है।

शिक्षा में सुधार
यूडीआईएसई की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दो शैक्षणिक वर्षों (2022-23 और 2023-24) की तुलना में, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में प्राथमिक, मिडिल और सेकेंडरी स्तरों पर स्कूल छोड़ने वालों की दर में कमी आई है। पिछले वर्ष की तुलना में, प्राथमिक स्तर पर यह दर 3.7 फीसदी से घटकर 2.3 फीसदी, मिडिल स्तर पर 5.2 से घटकर 3.5 फीसदी और सेकेंडरी स्तर पर 10.9 फीसदी से घटकर 8.2 फीसदी हो गई है। यह गिरावट छात्रों के स्कूल में बने रहने की बेहतर स्थिति को दर्शाती है और बच्चों को उनकी शिक्षा से जोड़े रखने के लिए शुरू की गई पहलों की सफलता को उजागर करती है।

2025 में करीब 45 हजार बच्चों को मुक्त कराया गया

एनएचआरसी ने कहा है कि 2025 में अधिकारियों ने विभिन्न प्रकार के शोषण से 44,902 से अधिक बच्चों को बचाया। बाल मजदूरी के काम में लगे बच्चों की सबसे अधिक संख्या तेलंगाना से थी। यहां पर 11,000 से बच्चों को बचाया गया। बाल श्रम के कामले में बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश शामिल थे। यौन शोषण के मामलों में, पश्चिम बंगाल सबसे आगे रहा, जहां 1,000 से अधिक बच्चों को बचाया गया। भीख मांगने से जुड़े मामलों में बचाए गए बच्चों की संख्या मुख्य रूप से हरियाणा और महाराष्ट्र में अधिक थी।

बाल श्रम के कारण

एनएचआरसी के मुताबिक गरीबी कई परिवारों को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चों की कमाई पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करती है। अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच की कमी, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और स्कूल जाने की उच्च अवसर लागत, भी महत्वपूर्ण कारण है। आयोग ने कहा है भारत में बाल श्रम के मूल कारण कई तरह के और आपस में जुड़े हुए हैं। काम के लिए मौसमी पलायन परिवार की स्थिरता को बाधित करता है और बच्चों को ईंट-भट्टों, निर्माण स्थलों, कपड़ा इकाइयों और घरेलू कामों में शोषण का शिकार बनाता है। लिंग-आधारित पहलू इस समस्या को और गंभीर बना देते हैं, लड़कियों को अक्सर घर के कामों या घरेलू मदद जैसे अदृश्य प्रकार के श्रम में धकेल दिया जाता है, जिससे उनकी शिक्षा की संभावनाएँ और भी बुरी तरह सीमित हो जाती हैं।

बचाव और पुनर्वास

एनएचआरसी ने बंधुआ मजदूरों की पहचान कर उन्हें मुक्त कराना और उनका पुनर्वास करने की वकालत की है। मुख्य सुझावों में मुक्त कराए गए बाल मजदूरों और बंधुआ मजदूरी के शिकार लोगों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए तालमेल के तरीकों को मजबूत करने पर जोर दिया है। इसमें उन्हें औपचारिक शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रमों और परिवार सहायता सेवाओं तक पहुँच दिलाना शामिल है ताकि उन्हें दोबारा तस्करी या मजदूरी में धकेले जाने से बचाया जा सके। साथ ही आयोग शहरी योजना, प्रवासी कल्याण नीतियों और कॉर्पोरेट सोशल जिम्मेदारी (सीएसआर) के ढांचों में बाल मजदूरी से जुड़े मुद्दों को शामिल करने की वकालत किया है।

दुनियाँ भर में बाल मजदूरी

बाल मजदूरी पर लगाम लगाने के प्रयासों के बाद भी दुनिया भर में 13.8 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी में लगे हैं, जिनमें से लगभग 5.4 करोड़ बच्चे खतरनाक कामों में लगे हैं।

Source: https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/jhansi/news/jhansi-student-rape-suicide-case-nhrc-notice-dm-ssp-report-139153427.html

Hindi NewsLocalUttar pradeshJhansiJhansi Student Rape Suicide Case | NHRC Notice To DM And SSP

छात्रा के रेप-सुसाइड केस में मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट:झांसी डीएम और एसएसपी को नोटिस जारी किया, 2 सप्ताह में तलब की रिपोर्ट
झांसी20 घंटे पहले

झांसी में रेप के बाद छात्रा के सुसाइड करने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने झांसी के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

आयोग के अनुसार, मीडिया में 23 सितंबर को प्रकाशित खबर के आधार पर मामले का संज्ञान लिया गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों पर गैंगरेप के आरोप में FIR दर्ज की थी। हालांकि जांच के बाद मामले में नया मोड़ आ गया था।

पुलिस ने दो दिन पहले मामले खुलासा करते 2 नाबालिग आरोपियों को डिटेन किया था। बताया पीड़िता और एक किशोर के बीच प्रेम संबंध थे। उन दोनों ने संबंध बनाए। यह बात गांव में फैलने के डर से युवती ने जहर खा लिया था। अभी 4 आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।

बाल सुधार गृह भेजे गए दोनों बाल अपचारी

पुलिस ने दोनों बाल अपचारियों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया। यहां से उन दोनों को ही ललितपुर स्थित बाल सुधार गृह भेज दिया गया। वहीं, हिरासत में लिए गए चार अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया। उनके खिलाफ पुलिस को कोई पुख्ता सुबूत नहीं मिले थे। सीओ गरौठा पीयूष पांडेय के मुताबिक मामले की विवेचना शुरू कराई गई है।